

**कार्यालय,  
सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2020/5170

लखनऊ: दिनांक 14-8-2020

--कार्यालय ज्ञाप--

अधिकांश भारतीय राजकीय शिक्षा परिषद नई दिल्ली/प्रादेशी आयोगों में जिनमें हाल में शिक्षा सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने का समाचार प्राविधिक शिक्षा परिषद लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विभाग द्वारा दिनांक 14-8-2020 को अखिल प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ को अवगत में परिषद कार्यालय में बैठक सपन्न हुई। बैठक में स्थिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आयोगों नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विभाग/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि समिति द्वारा जारी किए गए सत्र 2020-21 हेतु अनुमोदन प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुषंग में सम्बद्धता समिति की बैठक के माध्यम से विषयगत इन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम संबंधित करने वाली नई संस्था का प्रस्ताव रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा पहले विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया -

‘नवस्थापित डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं जिन्हें ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है, के संबंध में समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया एवं सत्र 2020-21 हेतु ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा निर्गत अनुमोदन पत्र के आधार पर सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत संस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण कराया जाये एवं निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता बिना किसी सूचना के समाप्त कर दी जाएगी।’

अतः निम्नानुसार संबंधित संस्था को परिषद की सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर प्राविधिक शिक्षा परिषद लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान किया जाता है -

क्र० सं०	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम की संख्या द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2020-21 हेतु अनुमोदित क्षमता
1	श्रीमती साहू की महाशाल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेकनीक 8 गाइड लाइन रोड, नियर-राधिका इन्डिया प्रयागराज	सिविल इंजीनियरिंग कम्प्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मेकैट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एंड कम्प्यूटेशनल इंजीनियरिंग	60 60 60 60 60	60 60 60 60 60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए0आई0सी0टी0ई0/ए0आई0आई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमन (1982) विनियमन (2018) तथा अन्य विनियमन नियमों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों के लिए इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम हेतु रु० 30,00,00/- प्रतिवर्ष दो वर्षों के लिए पाठ्यक्रम हेतु रु० 45,00,00/- प्रतिवर्ष एक एक वर्षों के लिए पाठ्यक्रमों (दो वर्षों के लिए पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० 22,50,00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त की अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के संबंध में

2020/5170

समय-समय पर शासन द्वारा निर्मित किये जाने वाले शासनादेश प्रकाशित होंगे, जिनके तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। यदि निर्धारित अवधि के अंत में शासनादेश जारी नहीं किया गया है तो फील की नवीनतम दर लागू होगी।

- ✓ संस्था को (अथवा प्रतिनिधि) संस्था समितियों तथा अन्य समितियों रखाओं की सम्बद्ध किया जानने विनियमनवली-2002 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में वास्तुगत प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आदर्शित शर्तों को ही प्रवेश किया जायेगा। शर्तों के बिना यह जाने की शक्ति के अन्तर्गत शासन को निर्धारितनुसार ही प्रवेश की आवश्यकता की जायेगी।
- ✓ संस्था को संस्था-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निर्दिष्ट एव सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई० / पी०सी०आई० से आगामी रात्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये शिक्षा/निदेश/अधिनियम/शासनादेश/निदेशों पर निर्देशक/प्रतिनिधि शिक्षा/अध्यक्ष/संस्था प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्रतिनिधि शिक्षा परिषद, ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा बनाये गये शिक्षा/निदेश/अधिनियम/निदेशों का पालन करने के लिये बंधित होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी कार्यक्रम की संस्थाएं यदि ए०आई०सी०टी०ई० से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ होती है तो इस संस्था में प्रवेश कार्यक्रम/विषय संस्था का होगा और विविध रूप से विज्ञापन की आवश्यकता के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्रतिनिधि शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, अधिनियम शिक्षा निदेशालय एवं प्रतिनिधि शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को वास्तुगत राश्र शिक्षा विभाग जाता है तथा दायर बाद के संस्था में ना सम्बद्धता प्राप्त किये उत्तर को प्रतिनिधि संस्था आदेश विनियम किया जाता है तो राश्र प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था गने करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी कार्यक्रम/कार्यक्रम/उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संस्थाओं को अनुमोदन प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश परीक्षा के लिए आर्थिक सहायता हेतु उत्तरदायित्व प्राप्त करने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यक्रम को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा सभी प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमोद नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आश्रय नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक प्रतिकृति, स्थापना-संस्था, उपाध्यक्ष, प्रवेश किया जाने वाला शुल्क आकांक्षित शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षा/प्रशासन हेतु अनुमोदन प्राप्त करने उपलब्ध करने की संस्था निर्गत शर्तों के अन्तर्गत में उत्तरदायित्व आदेशों सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्रशासित/सहायित कार्यक्रम को चलाने जाने हेतु निर्दिष्ट शर्तों के समस्त उपलब्ध कराने में प्रतिनिधि शिक्षा/आयुर्विद्य/परिषद/उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्देशित अन्य कार्यक्रमों में संस्थाओं में प्रवेश किया जाता है और परिषद को उत्तरदायित्व प्रदान करे कि संस्था उपलब्धता का प्रमाण किये अन्य कार्य से विहित कर रही है कि उत्तरदायित्व संस्था को सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की शक्ति के अन्तर्गत अनुमोदनात्मक आवश्यकता की जायेगी।

(सजीव कुमार सिंह)  
सचिव

पृ०सं०- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2020/5171-6578

तद् दिनांक 14-8-2020

प्रतिलिपि-प्रधानाचार्य/निदेशक/उपनिधि/भा.वि. को नजाराद कोलकाता भवन इन्फो एन्ड टेलि. ४ नजाराद स्टोन, रेवा रोड, नयरा-यमुना द्वार, इन्डस्ट्रियल घूरपुर, प्रयागराज-212111

(सजीव कुमार सिंह)  
सचिव

## कार्यालय,

## सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद,

## उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

## :-कार्यालय जाप:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30प्र0 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30 प्र0 लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 4145-CHHATRAPATI SHAHUJI MAHARAJ COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY 8th MILE STONE REWA ROAD, NEAR YAMUNA DWAR, IRADATGANJ, GHOORPUR, PRAYAGRAJ-212111

क्र०स०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/ पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	COMPUTER SCIENCE, AND ENGINEERING	60	60
3	ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING	60	60
4	ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING	60	60
5	MECHANICAL ENGINEERING	60	60

## सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर विनियमवाली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण

समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रू० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रू०- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रू०-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2021-22 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।

- ✓ संस्था को (30प्र० प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, 30प्र०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 30प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, 30प्र० द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तथा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा

ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।

- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृ0सं0- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक, CHHATRAPATI SHAHUJI MAHARAJ COLLEGE OF ENGINEERING & TECHNOLOGY 8th MILE STONE REWA ROAD, NEAR YAMUNA DWAR, IRADATGANJ, GHOORPUR, PRAYAGRAJ-212111



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव